—जरिये ई—मेल—

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राजस्थान)

क्रमांक : स्था0/2024/ 03 दिनांक : 30.01.2024

:: कार्यालय आ दे श ::

वर्ष, 2024 के माह **फरवरी** में दिनांक 29.02.2024 तक आने वाले राजकीय अवकाशों हेतु बून्दी न्यायक्षेत्र के लिये आवश्यक फौजदारी कार्य, रिमाण्ड, जमानत एवं अन्य आवश्यक कार्य/मृत्युकालिक कथन, धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन/धारा 176 दं.प्र.सं. की कार्यवाही हेतु रिमाण्ड ड्यूटी के लिये निम्नलिखित तारीखों में उनके सामने अंकित मजिस्ट्रेट्स को न्यायालय में वक्त प्रातः 11.00 ए.एम. से दोपहर 02.00 पी.एम.तक करने के लिये अधिकृत किया जाता है—

क्र.सं.	नाम अधिकारी व पद	ड्यूटी की दिनांक	मोबाईल नम्बर
1.	श्रीमती सीमा शर्मा, अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली (बून्दी)	04.02.2024	9828325726
2	श्री सुनील कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी	10.02.2024 11.02.2024	9057844085
3	श्रीमती अनुभा सिंह, अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन (बून्दी)	18.02.2024	8529211353
4	श्री विकास नेहरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन (बून्दी)	24.02.2024 25.02.2024	9950348629

नोट :—

1. उक्त राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य कोई राजकीय अवकाश/स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने पर घोषित अवकाश के दिवस को जमानत, रिमाण्ड व आवश्यक उक्त कार्यो के लिये समस्त बून्दी न्यायक्षेत्र के लिये **श्रीमती सोनम आर्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट, तालेड़ा जिला बून्दी** की ड्यूटी लगाई जाती है।

2— उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो उनके स्थान पर उक्त पीठासीन अधिकारी का रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु विशेष कारणों पर उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जावेगी।

3— अभियुक्तगण को निर्धारित समय ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। संबंधित थानाधिकारी के द्वारा मात्र विशेष एवं आपवादिक परिस्थितियों में ही मुलजिम को निवास पर पेश किया जावे। संबंधित न्यायालय का स्टाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।

4— उक्त आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, अपरिहार्य परिस्थितियों में ड्यूटी परिवर्तन हेतु संबंधित न्यायिक अधिकारी द्वारा माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी की पूर्वानुमति से अपने स्तर पर अन्य न्यायिक अधिकारी से लिखित सहमति प्राप्त कर प्रार्थना पत्र मय सहमति के इस कार्यालय में प्रेषित किये जाने के उपरान्त ही प्रार्थना पत्र पर विचार किया जायेगा। इस संबंध में अनावश्यक मौखिक वार्ता नहीं की जावे।

5— अवकाश के दिन यदि संबंधित मजिस्ट्रेट अथवा लिंक मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर उपस्थित है तो उनसे भी जमानत, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यो के लिये आदेश प्राप्त किया जा सकता है।

6— अवकाश के दौरान प्रस्तुत एफ.आई.आर., रिमाण्ड कागजात एवं अन्य दस्तावेजात् आवश्यक रूप से अविलम्ब संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें।

7— तारांकित अवकाश के दिन जिस न्यायिक अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी लगायी गयी है, वही न्यायिक अधिकारी उक्त अवकाश के परिवर्तित होने पर रिमाण्ड ड्यूटी करेगा।

(सृष्टि चौधरी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)

क्रमांक : सामान्य/2024/ 184-193 दिनांक : 30/01/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

(1) श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी.

(2) जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यो के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें। (3) संबंधित पीठासीन अधिकारी (4) जिला आबकारी अधिकारी, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक, प्रहराधिकारी, भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यो के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें। (5) पुलिस कंट्रोल रूम/ए.डी.पी. ऑफिस बून्दी (6) उपाधीक्षक, जिला कारागृह, बून्दी (7) अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद, बून्दी. (8) सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा,बून्दी को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस मैसेज को जिला न्यायालय की वेब साईट पर अपलोड करें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)